न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—229/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/229)

1. गिरधारी पुत्र लादू (लादू पुत्र भूरा)
2. झुम्मी पुत्री बालू
3. खीयां पुत्र बालू (मृतक) जरिए वारिसानः—
   3/1 नंगा पुत्र खीयां
   3/2 हीरा पुत्र खीयां
   3/3 हरदेव पुत्र खीयां
   3/4 फूला पुत्र खीयां
   3/5 सेठू पुत्र खीयां (ना0औ0फौत)
   3/6 मंगला पुत्री खीयां (मृतक) जरिए वारिसानः—
   3/6/1 पूजा पत्नि मंगला
   3/6/2 तारा पुत्री मंगला) नाबालिग जरिए संरक्षिका
   3/6/3 बाबूडी पुत्री मंगला) माता पूजा पत्नि मंगला
   3/6/4 बाबू पुत्र मंगला)
   समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम मोतीसर तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. धर्मेन्द्र पुत्र गाजी (गाजी पुत्र छोगा)
2. मतिया पुत्री गाजी
3. मोहनी पुत्री गाजी
4. शांति पत्नि गाजी
5. सेम्पा पुत्री गाजी
6. सीता पुत्री गाजी
7. भंवरलाल पुत्र गणेश (गणेश पुत्र छोगा)
8. महेन्द्र पुत्र गणेश
9. रामचन्द्र पुत्र गणेश
10. शैतान पुत्र गणेश
11. नारायण पुत्र छोगा
12. भागू पुत्र छोगा (मृतक) जरिए वारिसानः—
    12/1 आपू पत्नि भागू
    12/2 कालू पुत्र भागू
    12/3 पतासी पुत्री भागू
    12/4 सुवा पुत्री भागू
    12/5 लक्ष्मी पुत्री भागू
    12/6 लीला पुत्री भागू
    12/7 गोरकी पुत्री भागू
    12/8 रेखा पुत्री भागू
13. हजारी पुत्र छोगा (मृतक) जरिए वारिसः—
    13/1 भागचंद पुत्र हजारी
    समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम मोतीसर तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
14. जयराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी लेसवा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन।
16. उप–पंजीयक, पीसांगन, जिला अजमेर।
17. यूको बैंक शाखा पुष्कर जरिए प्रबंधक।

रेस्पोडेन्ट्स

18. रामा पुत्र बालू (बालू पुत्र भूरा)
19. नानू पुत्र बालू
20. माना पुत्र बालू
    समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम मोतीसर तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 07.05.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन राजस्व वाद संख्या 7/2022

उपस्थितः–

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री भरत गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 8 **अनुपस्थित**
3. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 14
4. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 15
5. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7, 9 से 13, 16 से 20 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–18.02.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 7/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा एक नियमित राजस्व वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी/दुरूस्ती इंद्राज, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसके संलग्न एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए व उनके अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 7/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7, 9 से 13, 16 से 20 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि यह न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार के साथ कब्जे के प्रजम्पशन की अवधारणा है एवं यह भी न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार के कब्जे को प्रोटेक्ट रखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में इस बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया गया एवं अपीलांट्स के विरूद्ध बिना कानूनी मस्तिष्क का उपयोग किये नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जिससे उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय कतई अविधिक होकर काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखने में भारी भूल की है कि वादीगण/अपीलांट्स द्वारा अपने वाद पत्र में वादग्रस्त आराजीयात में निहित अपने हक व अधिकार को सिद्ध करने बाबत खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2038 से 2041 प्रस्तुत की तथा दौराने बहस वादीगण के कब्जे काश्त के समर्थन में खसरा गिरदावरियां प्रस्तुत की जिसमें वादीगण/अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स /प्रतिवादीगण के पूर्वज वादग्रस्त आराजीयात पर बहिस्सा बराबर काबिज काश्त चले आ रहे थे जिसको सन् 1984 में विशेष राजस्व कैम्प में अकेले रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज के नाम आवंटन कर दिया गया जो कि विधि विरूद्ध कार्यवाही थी। उपरोक्त कानूनी बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में आने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात को वाद के विचाराधीन रहने तक एवं वाद का गुणावगुण पर निर्णय नहीं हो जाने तक सुरक्षित रखने के बजाय प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को अनुचित लाभ प्रदान करने की नीयत से बिना रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत का जरिये साक्ष्य से सिद्ध हुए सही मानते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह प्रथम दृष्टया ही काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र रेस्पोडेन्ट्स का नाम जो त्रुटिपूर्ण रूप से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को अपने निर्णय का आधार बनाकर सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में सिद्ध होना मानते हुए वादीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया है, जबकि उनके द्वारा इस तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया गया कि उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की दुरूस्ती एवं खातेदारी उदघोषणा हेतु ही वादीगण/अपीलांट्स द्वारा उनके समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है जिसका निस्तारण होना अभी शेष है। उससे पूर्व ही यदि वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द या अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल कर मौके व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवा लिया गया तो अपीलांट्स का वाद प्रस्तुती का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। उक्त सभी तथ्यों को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.5.2025 पारित किया है जो कि प्रथम अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। यह न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात को प्रोटेक्ट करने के लिए वादग्रस्त आराजी की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति न्यायहित में आवश्यक है, इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने उक्त बिन्दु पर गौर नहीं कर अपीलांट्स के विरूद्ध निर्णय पारित कर भारी कानूनी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष अपीलांट्स द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को पूर्णतया जरिये दस्तावेजी साक्ष्य एवं राजस्व जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरियों से सिद्ध कर दिया था

एवं अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के भू–संशोधन में कारित त्रुटि से पूर्व रिकार्डेड खातेदार होने तथा खसरा गिरदावरियों में वादीगण/अपीलांट्स के पूर्वजों द्वारा काश्त किया जाना सिद्ध करने एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उक्त तीनों बिन्दु अपीलांट्स के पक्ष में होने के बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज कर पूर्व में पारित स्थगन आदेश को जारी नहीं रखने में भारी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों को सम्मिलित किया है उक्त तथ्यों को जब तक वाद के माध्यम से बाद तनकी कायम करने एवं जरिये साक्ष्य से सिद्ध किये जाने के बाद भी ग्राहय किये जा सकते हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को अनुचित लाभ प्रदान करने एवं वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने, अन्यत्र बेचान करने तथा वादीगण/अपीलांट्स के कब्जे काश्त में दखलंदाजी उत्पन्न करने की खुली छूट प्रदान करने की मंशा से उक्त तथ्यों को अदृश्य रूप से स्वीकार करते हुए वादीगण/अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाने में जो कानूनी भूल की है वह काबिल निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट्स एवं अपीलांट्स का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा था, बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादीगण के हक हिस्से अर्थात सम्पूर्ण आराजीयात पर अतिक्रमण करने एवं कब्जा करने का अविधिक प्रयास किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं निर्माण नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को पाबन्द किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 7.5.2025 की आड में रेस्पोडेन्ट्स अपीलांट्स के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए हैं जिसमें यदि वे सफल हो गए तो अपीलांट्स का मूल वाद प्रस्तुती का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.5.2025 न्याय संगत नहीं होकर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने एवं वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने का खुला लाईसेंस प्रदान करने वाला होने से अपील के माध्यम से काबिल निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अविधिक रूप से वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा करने की नियत से यथास्थिति के आदेश के बावजूद जे.सी.बी. चलाकर निर्माण कार्य चालू किया गया तो अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध अवमानना प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उक्त प्रकरण के निस्तारण तक अवमानना प्रार्थना पत्र का खण्डन करने हेतु कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र को भी अविधिक रूप से निरस्त फरमा दिया जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आक्षेपित निर्णय पारित करने में पूर्ण रूप से रेस्पोडेन्ट्स को अवांछित लाभ प्रदान किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 7.5.2025 विधि विपरीत होने से अपील के माध्यम से काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से सिद्ध है कि उनके समक्ष प्रकरण वास्ते रेस्पोडेन्ट संख्या 13 व 14 के जवाब एवं तलबी में नियत चला आ रहा था तथा प्रकरण वास्ते बहस हेतु पूर्ण एवं नियत नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपूर्ण प्रकरण को अंतिम रूप से निस्तारित करने में एवं रेस्पोडेन्ट्स को अनुचित लाभ प्रदान करने में जो रूची दर्शाई है वह विधिक

प्रक्रिया के विपरीत होकर उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.5.2025 काबिल निरस्त योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 7/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.05. 2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 902 श्री सरकार के नाम दर्ज थी एवं वर्किंग में खसरा नम्बर 1378 हजारी, गणेश, राजी, भागू, नारायण पिता छोगा जाति रावत निवासी मोतीसर को आवंटन सन् 1984 को विशेष राजस्व केम्प भगवानपुरा में आवंटित की गई थी। जिनके नामांतकरण संख्या 334 दिनांक 11.06.1992 के अनुसार अप्रार्थीगण के पूर्वज को गैर खातेदार से खातेदार अंकन स्वीकार किया गया, तत्पश्चात इन्हीं के वारिसानों के नाम दर्ज है तथा इन्हीं के नाम से आज दिनांक तक कब्जा काश्त दर्ज है। प्रार्थीगणों का कोई हक अधिकार ही निहित नहीं करता है। न्याय के विभिन्न दृष्टांतों के तहत प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र को दिनांक 07.05.2025 को खारिज किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विनिश्चित करने के तीन मूलभूत बिंदु है यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति। हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीन बिंदुओं का विश्लेषण निम्नानुसार है–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– प्रकरण से संबंधित विवादित आराजीयात खसरा नम्बर खसरा नम्बर 944 रकबा 4.86है0 ग्राम मोतीसर पटवार हल्का सूरजकुण्ड भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पिचौलिया तहसील पीसांगन जिला अजमेर में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 24.03.2023 को अप्रार्थीगण को जवाब पेश होने तक जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किए जाने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदु अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित किए गए। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व जमाबंदी संवत 2072–2075 के खाता संख्या 360 के खसरा नम्बर 944 रकबा 4.8600है0 के

खातेदार/काश्तकार अप्रार्थीगण अपने राजस्व हिस्से अनुसार दर्ज हैं। जबकि अपीलांट्स द्वारा उक्त आराजीयात को पुश्तैनी आराजीयात होना बताया है तथा कथन किए कि दौराने बंदोबस्त भू–प्रबंध विभाग द्वारा खतौनी जमाबंदी संवत 2038–2041 में दर्ज इंद्राज की पुनरावृति नहीं कर आधार जमाबंदी मुर्तिब करते समय अपीलांट्स के पूर्वजों का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया गया। परंतु इन समस्त तथ्यों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाद साक्ष्य मूल वाद के अंतिम निस्तारण पश्चात तय होगा कि अपीलांट द्वारा कहे गए कथनों अनुसार उक्त आराजीयात में उनके हक अधिकार विद्यमान हैं या नहीं। प्रथम दृष्टया प्रकरण को सिद्ध करने का भार अपीलांट पर था, अपीलांट प्रथम दृष्टया प्रकरण को साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण बहक रेस्पोडेंट विरूद्ध अपीलांट तय किया जाता है।

न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे(18) 2011 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत– RAJASTHAN TENANCY ACT,1955- Section 212- Temporary injunction cannot be granted against recorded khatedar.

<u>सुविधा का संतुलन</u> :– वर्तमान प्रकरण के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण का अंतिम निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद के गुणावगुण के निस्तारण पश्चात ही हो सकेगा। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र से हक अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। अतः अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग करते हुए सुविधा का संतुलन बहक रेस्पोडेंट विरूद्ध अपीलांट सिद्ध होता है।

<u>अपूर्णीय क्षति</u> :– अपीलांट को चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाता है तो, वर्तमान रेस्पोडेंट्स के विधिक अधिकारों की रक्षा किया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए उक्त प्रकरण में अपीलांट्स की बजाय रेस्पोडेंट को भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है वरन इस बाबत अपीलांट की बजाय रेस्पोडेंट्स को होने वाली क्षति व भारी असुविधा जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं होने से व उक्त आराजीयात बाबत अपीलांट को किस प्रकार क्षति कारित होगी या हुई है, इस बाबत वह अपनी अपील के माध्यम से यह बताने में पूर्णतः असफल रहे है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी अपीलांट के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदु वर्तमान रेस्पोडेंटगण के पक्ष में सिद्ध होते है।

***यदि धारा 212 के अन्तर्गत स्वविवेक के अधिकारों के प्रयोग में अधीनस्थ न्यायालय ने सामान्य न्याय के सिद्धातों का सही प्रयोग किया है तो अपील व निगरानी न्यायालय को उक्त आदेश में दखल नहीं करना चाहिए* (1973 आर.आर.डी. 417; बहादुरमल बनाम जौहरीलाल, 1973 आर. आर.डी. 400 हीरा बनाम नत्थू)**

अतः उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक नजीरों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न्यायालय हाजा को उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 7/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.05.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर